प्लास्टिक की पकड़ सीमेंट से ज्यादा मजबूत...

पन्नी बेचना जुर्म लेकिन अंकल चिप्स और रामदेव जैसों को खुल्ली छूट

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

पर्यावरण को प्रदूषित करते हालातों का हवाला देकर सरकारें प्लास्टिक पर लगाम कसने की कवायद करती आ रही हैं। हालाँकि, स्थानीय बाजार के सर्वे से इस क्षेत्र में सरकार की नीतिगत कार्यशैली और एकतरफा प्रतिबंधों को देख कर सरकारी मंशा पर सवाल उठते हैं। आम आदमी और मझोला व्यापारी प्लास्टिक थैलीइस्तेमाल करे तो मोटा हर्जाना भरेगा और कॉर्पोरेट करे तो कोई शिकवा गिला नहीं।

आप का बच्चा पन्नी में अपनी किताबें नहीं ले कर जा सकता है पर प्लास्टिक के पैकेट वाला अंकल चिप्स या कुरकुरे खा सकता है। गरीबों के विवाह इत्यादि समारोह में प्रयुक्त होने वाली थर्माकोल की प्लेट या टपरी पर चाय वाले का ग्लास बैन है पर फाइन डाइनिंग के नाम पर बनने वाली क्रोकरी या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की पैकिंग में थर्माकोल धड़ल्ले से उपयोग होता रहेगा। खुली दाल को पन्नी की थैली में नहीं ले सकेंगे पर रामदेव के पतंजलि की दाल प्लास्टिक के पैकेट में बंद हो तो ले जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश भारत का उन्नीसवां राज्य बन गया है जहाँ प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग और संग्रहण पर पूर्ण रूप से रोक लग गयी। हिमाचल प्रदेश सरकार दो कदम आगे

बढ़ कर थर्माकोल से बने बर्तनों पर भी रोक लगा चुकी है और देर-सबेर उत्तर प्रदेश भी इस पर अमल करेगा।

हरियाणा सरकार ने भी प्लास्टिक की थैलियों के उत्पादन, भंडारण, रीसाइकलिंग, और बेचने पर 25000 से 50000 रुपये तक आर्थिक दंड लगाने के साथ लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया हुआ है। और तो और, उपयोग करने वाले पर 250 से 500 रूपए का चालान भी कट सकता है।

ये जानते हुए कि जैविक अपघटन न होने और नष्ट नहीं हो सकने के कारण प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, प्लास्टिक थैलियों और नाना प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। प्लास्टिक की एक थैली पूरी तरह से नष्ट होने में जहाँ 200 वर्ष लेती है वहीँ प्लास्टिक की कुर्सी को पूर्ण रूप से नष्ट होने में 400 से 500 वर्ष का समय लगता है।

सेक्टर 9 फरीदाबाद के इजी डे जनरल स्टोर से घर का राशन खरीदने आई 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेहा को ज्ञात है कि प्लास्टिक थैली का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है, सड़क पर यहाँ वहाँ पन्नियों के ढेर उनके महंगे रिहाइशी इलाके सेक्टर 9 पर एक धब्बा हैं, पर प्लास्टिक थैली में पैक्ड दाल चावल जैसे पदार्थों को लेकर तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं।

45 वर्षीय वसीम खान सेक्टर 15 फरीदाबाद की मार्किट में अपना किराना स्टोर चलाते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ दुकानदारों और उपभोक्ताओं पर प्रतिबन्ध लगा कर ये समस्या कभी नहीं सुलझेगी, हां हर्जाना वसूलने वाले जरूर रिश्वतें वसूलने लगेंगे। ये पूछने पर कि इसका विकल्प क्या होना चाहिए, खान ने कहा, सरकार ने इसका कोई विकल्प दिया ही नहीं है।

मनिंदरपाल सिंह पेशे से एक अध्यापक हैं और अपने 50 वर्ष के जीवन में उन्होंने प्लास्टिक को सन 1985 के बाद से भारत में स्थापित होते देखा है। उन्होंने कहा, इस प्लास्टिक ने हमारे कपड़े और कागज के थैलों और झोलों को समाप्त कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है दुकानदार द्वारा प्लास्टिक थैलियों का मुफ्त दिया जाना। आज बड़े-बड़े शोरूम कागज के थैलों के दाम वसूलते हैं और हम खुशी-खुशी देते हैं पर यदि सब्जी वाला पन्नियों के बदले दूसरा बैग दे कर एक रूपया मांगे तो हमें दिक्कत है।

प्लास्टिक का विकल्प क्या हो, इसपर 32 वर्षीय निदा ने कहा कि जूट और कागज के बैग, बशर्ते इनकी कीमत कम हो, जो कि नामुमकिन सा है। खुद कभी प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं करना तो संभव है पर अपने बच्चे के पसंदीदा चाकलेट की प्लास्टिक पैकिंग का क्या करें?

गोलगप्पे की रेहडी लगाने वाले धर्मवीर का तर्क था, 5 रुपये दर्जन की थर्माकोल प्लेट इतनी सस्ती है जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता बाजार में, अब जो प्रतिबन्ध लग जाएगा तो गोलगप्पा भी तो महंगा होगा ही न भाईसाहब।

जाहिर सी बात है कि आमजन को प्लास्टिक के नाम पर सिर्फ रेहड़ी वाले की पन्नियाँ ही दिखती हैं पर कॉर्पोरेट का चाकलेट, चिप्स, पैक्ड दालें नहीं दिखतीं। ये सब कमाल है उनकी आकर्षक पैकिंग का और बिकाऊ मीडिया के नजरिये से इस समस्या को देखने का। सरकारें भी कॉर्पोरेट के आगे बेबस हो जाती हैं।

सरकार का नागरिकों और कमजोरों के प्रति सौतेला व्यवहार दर्शाता है कि पर्यावरण को ले कर रोने वाली सरकारों का असली उद्देश्य सिर्फ अपनी और पूंजीपतियों की जेबें भरना है। कॉर्पोरेट उत्पादों को ये कह कर छूट मिल गई है कि ये प्रोटेक्टिव मटेरियल में इस्तेमाल हो रहे हैं।

प्लास्टिक की सुगमता ने आमजन के जीवन को बहुत आसान बनाया है। इसका कोई सहज विकल्प दिए बिना सरकार आज कितनी भी कोशिश कर ले, न तो उत्पादन बंद हो सकेगा न ही उपभोग। अव्वल तो सरकार की नीयत ही पर्यावरण और नागरिक जीवन को बेहतर बनाने को लेकर ईमानदार नहीं दिखती।

ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष 12 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादों का उपभोग होता है जिसमे से हर वर्ष 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 60 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट को रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किया जाता है, बचा 40 प्रतिशत नदियों के रास्ते महासागरों में पहुँचता है।

दुनिया का महासागरों में जाने वाला प्लास्टिक कचरा विश्व की 10 नदियों के रास्ते पहुँचता है जिसमे से अकेले भारत की तीन मुख्य नदियों सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा 90 प्रतिशत कचरा महासागरों तक पहुँचाया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में कचरा पहुँचने से 10 मिलियन समुद्रीं पक्षी और एक लाख स्तनधारी हर वर्ष अपनी जान गँवाते हैं।

प्लास्टिक कचरे का 66 प्रतिशत हिस्सा घरों से निकलने वाले खाद्य पदार्थों की पैकिंग वाली थैलियाँ, सिल्वरफॉयल और अन्य पैक्ड फूड के रैपर हैं। 15000 टन प्रतिदिन निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को ढोने के लिए 10 टन प्रति ट्रक के हिसाब से 1500 ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी। 9000 टन को पुन:उपयोग के लायक बनाया जाता है पर बाकी का बचा 6000 टन कचरा गलियों, सड़कों और नालियों में फैला रहता है जो भूमि प्रदूषण, जाल प्रदूषण के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा कारण है।

विकल्प है लेकिन उन्हे लागू करने की नीयत नहीं

प्लास्टिक थैली और प्लेट के विकल्प के तौर पर पुराने भारतीय ग्रामीण जीवन में इस्तेमाल होने वाले बरगद के और तरह तरह के पेड़ों के पत्तों से बने पत्तल, कागज के बने थैले एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने पर एक तरफ पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी, वहीँ पेड़ों की कटाई पर भी कुछ अंकुश लगने की संभावना बनेगी। इससे रोजगार में वृद्धि तो होगी ही, प्रति व्यक्ति आय भी जीडीपी के खेल से निकल कर असल में असरदार होती दिख सकती है।

जर्मनी की एक निजी कंपनी ने पत्तों से प्लेट, गिलास और थैली बनाने की विधि को वैज्ञानिक तर्ज पर ईजाद किया है जिसमे एक निश्चित तापमान पर पत्तियों को सुखाने के बाद डाई बनाकर प्लेट और थैली सा आकार एवं मजबूती प्रदान की जाती है।

ऐसे प्रयोगों को सरकारी प्रोत्साहन भारत जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। भूमि को प्रदूषण से बचाने के साथ ही ग्राहक को एक सुलभ विकल्प, ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार, छोटे और मंझले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ रोजगार के आंकड़ों में बढ़ोतरी से ग्रामीण पलायन पर भी चोट की जा सकती है।

नॉर्वे और स्वीडन सरीखे देश जो अपने हर प्रकार के कचरे का 100 प्रतिशत निस्तारण रीसाइकलिंग के माध्यम से करते हैं उसमे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाना भी शामिल है, ये एक सफल माडल के तौर पर देखा जाने वाला प्रयोग है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु और आँध्रप्रदेश में 35 किलोमीटर सड़क बनायी गई है पर आवश्यकता है मांग के स्तर तक पहुँचने की।

इंगलैंड के दो वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खा जाने वाले बैकटीरीया का ईजाद किया है। इस पर शोध कार्य अभी चल रहा है। ऐसे क्रांतिकारी शोध भारत में होना मौजूदा सरकार में तो संभव नहीं दिखते। इन महत्वपूर्ण और कारगर उपायों पर बिना गौर किये और नागरिकों को प्लास्टिक के मुकाबले का विकल्प दिए बिना भारत में तमाम सरकारों को सिर्फ प्लास्टिक थैलियाँ पर बैन करना आसान जान पड़ता है।

जर्जर सरकारी स्कूल अजरोंदा में गेट गिरने से 2 बच्चे घायल

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 15 के गांव अजरोंदा स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल का गेट उस वक्त टूट कर गिर पड़ा जब बच्चे छुट्टी होने पर घर को निकल रहे थे। दो में से एक बच्चे का तो हाथ टूट गया बताते हैं। यद्यपि शिक्षकों ने अपनी कार से बच्चों को नजदीक के प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जा कर अपने पैसों से इलाज भी कराया फ़िर भी बच्चे की मां स्कूल शिक्षकों पर ही बच्चे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रही है। शायद मां यह नहीं जानती कि इलाज पर खर्च करने का दायित्व शिक्षकों का नहीं है और ना ही वे दुर्घटना के लिये दोषी हैं। प्राइवेट की बजाय यदि वे बीके अस्पताल ले जाते तो उनका एक धेला भी खर्च न होता।

पीड़ित बच्चे की मां यह भी नहीं जानती कि दुर्घटना के लिये हरियाणा सरकार पूरी तरह से दोषी है जो बच्चों को कंडम हो चुकी बिल्डिंगों में पढ़ाई के नाम पर बैठाती है। मजे की बात तो यह है कि बिल्डिंग के समय से पूर्व कंडम हो जाने के लिये भी सरकार ही दोषी है क्योंकि हर बरसात स्कूल में 2-2 फ़ीट पानी भरती आई है जिसके निकास का उपाय नहीं किया गया।

इस घटना से करीब 6-7 माह पूर्व एनएच एक नम्बर के हाई स्कूल की जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से एसी नगर के एक बालक का हाथ टूटा था। उसके बावजूद सरकार को जर्जर बिल्डिंगों में चल रहे स्कूलों की सुध लेने की फुर्सत नहीं। गत माह एसडीएम बल्लबगढ़ द्वारा कौराली गांव के औचक निरीक्षण में पता चला कि वहां का स्कूल एक जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है। किसी संभावित खतरे को भांपते हुये उन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुये तुरंत बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरित करा कर जर्जर स्कूल के गेट पर ताला लगवा दिया। ज़िले भर में अभी दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जिनके गेट पर तुरंत ताला लग जाना चाहिये।

कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों में कहा गया है कि ज़िला विधिक सेवायें प्राधिकरण की जज (सचिव) मोना सिंह ने घटना का संज्ञान लिया है। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि क्या संज्ञान लिया है। वास्तव में संज्ञान लिया जाये तो उन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाय जो बच्चों को जर्जर बिल्डिंगों में पढ़ाई के नाम पर बैठने दे रहे हैं।

घटना का संज्ञान लेते हुये ज़िला शिक्षा अधिकारी ने उल्टे स्कूल की इन्चार्ज शिक्षक को कारण बताओ नोटिस ज़ारी करके पूछा है कि स्कूल की नई बिल्डिंग, जो गत 10 माह से बन रही है, अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? जानकार बताते हैं कि स्कूल इन्चार्ज ममता ने कहा कि यह काम उसका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा बताते हैं कि समय पर फंड न आने से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा।

सवाल यह पैदा होता है संज्ञान लेने वाली ज़िला शिक्षा अधिकारी खुद क्या कर रही थी जो कितने समय में इस अधूरी बिल्डिंग का निरीक्षण न कर पायी? यदि प्राइमरी स्कूल की इन्चार्ज शिक्षक ने ही सब कुछ करना है तो फ़िर उनकी क्या जरूरत रह गयी?

आज का सवाल

क्या कोई बताएगा बाबा रामदेव की सम्पत्ति 300 करोड़ से बढ़कर 33000 करोड़ कैसे हो गया इतनी भयानक मंदी में?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06